बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

आम सूचना

बिहार लोकायुक्त विधेयक 2011 के प्रारूप पर सुझावों का आमंत्रण

भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के कार्यान्वयन के क्रम में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि एक नया बिहार लोकायुक्त अधिनियम बनाया जाये।

इस संबंध में अद्यतन बिहार लोकायुक्त विधेयक, 2011 प्रारूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) को सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट www.gad.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस विधेयक को अधिनियमित करने के पूर्व इस पर आम लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किये जायें एवं प्राप्त सुझावों पर उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह सम्यक् विचारोपरान्त सरकार को अनुशंसा दें। इस मंत्रियों के समूह में सदस्य के रूप में विधि मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री होंगे।

आम नागरिकों से अनुरोध है कि इस प्रारूप विधेयक पर अपने बहुमूल्य सुझावों से सरकार को अवगत करावें ताकि एक उपयुक्त कानून इस राज्य में लाया जा सके।

इस संबंध में सुझाव निम्न प्रकार से दिये जा सकते हैं:

ई-मेल : secy-par-bih@nic.in	फैक्स : 0612-2217466
डाक से : प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना-800015	

दिनांक 22.11.2011 की संध्या 6.00 बजे तक प्राप्त सुझावों पर विचार किया जायेगा।

(दीपक कुमार)
प्रधान सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

पी.आर.-8307 (Gen.Adm.) 11-12